भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 62AB 067095

यह जनरल स्टैम्प पेपर ....

....

की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है। जिसकी पंजीकृत संख्या B.37354 है।

सहायक रजिस्ट्रार ... कार्यालय ... बरेली ★ 3070 ★

[illegible]

06/10/2012

Scanned with CamScanner

संशोधित स्मृति--पत्र

1. संस्था का नाम : मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
2. संस्था का पता : स्थान पो० ककराला तह० दातागंज जिला बदायूँ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नांकित उद्देश्य होंगे-:

1. समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके उनके बच्चो की शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति करना व अधिक से अधिक बालक बालिकाओ को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करना।
2. गरीब एवं अनाथ बालक बालिकाओ के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना तथा इस हेतु निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालयो की स्थापना कर उनका प्रबंध करना।
3. विधवा एवं अनाथ लड़कियो के विवाह में सहायता करना तथा उन को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न करना।
4. केन्द्र एवं राज्य सरकारो के द्वारा शिक्षा के उत्थान एवं विकास सम्बन्धी चलायी जा रही योजनाओ को अपनाना व उनके क्रियान्वियन में सहयोग करना।
5. बेसहारा समाज के लिए निशुल्क विभिन्न प्रकार के शिविरो का स्थापना कर यथा समय उनको सहायता प्रदान करना।
6. पिछड़े हुए युवाजनो के लिए प्रमोद ग्रह और बौद्विक विकास के लिए केन्द्रो की स्थापना कर निःशुल्क प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकालयो एवं वाचनालयो की स्थापना करना।
7. छात्र छात्राओ में आपस में प्रेम सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति सम्पूर्ण और सामाजिक सदभाव की भावना उत्पन्न करना।
8. शिक्षा के माध्यम से जातीय भाषाई, ऊँच-नीच और भेद भाव रहित समाज का निर्माण करना।
9. गरीब और मेधावी छात्र छात्राओ को निःशुल्क शिक्षा देना और उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध करना।
10. यह कि अन्य वे सभी कार्य करना जो शिक्षा के उत्थान एवं विकास में सहयोगी हो और सोसा० रजि० की धारा 20 के अन्तगर्त हों।

Ajmal Khan परवीन

सचिव/प्रबन्धक
मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
ककराला (बदायूँ)

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ बरेली क्षेत्र, बरेली उ०प्र०

06/10/2012

11. संस्था के उद्देश्य हो कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की सभी प्रकार की शिक्षा (प्राईमरी जू0हा0 स्कूल, इण्टरमीडिएट,स्नातक एवं स्नातकोत्तार तकनीकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रावधिक शिक्षा का संचालन करना तथा अल्पसंख्यको के विकास हेतु सभी प्रकार की शिक्षा को उपलब्ध कराना तथा उनके कल्याणकार्थ उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओ को क्रियान्वित करना।

12. यद्यपि यह संस्था समाजसेवियो की होगी परन्तु इस संस्था के उद्देश्य समस्त मानव समाज के हितार्थ होगें। चाहे वे किसी भी धर्म जाति लिंग अथवा समुदाय का स्त्री/पुरूष क्यो न हो विश्व एकता विश्व शान्ति विश्व बन्धुत्व भारत की एकता और अखण्डता की नीव को मजबूत करके समता हेतु राष्ट के निर्धन एवं असहाय नागरिको के हितो की रक्षा करना और उनमें स्वावलम्वन एवं आत्म निर्भरता की भावनाओ को जाग्रत करना।

13. संस्था के उद्देश्य है कि पुरूष महिला बालक बालिकाओ के लिए पूर्नवास केन्द्र अल्प आवास कामकाजी महिलाओ के लिए देखभाल सहित छात्रावास भवन निर्माण कराने का प्रयास करना और महिला एवं पुरूष रोजगार तथा आय उत्पादन का निःशुल्क प्रशिक्षण केन्दो की स्थापना करना जारी निकेतन बालवाड़ी केन्दो के माध्यम 3–6 वर्ष के बच्चो को अल्पोषाहार कार्यकम चलाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना तथा हरिजन निर्धन पिछड़े बेसहारा विकलागं अपाहिज गंगू बहरे बालक एवं बालिकाओ को निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना एवं यथासम्भव उन्हे स्वदेशी विदेशी छात्रवृत्ति दिलाने का प्रयास करना।

14. दलित पिछड़े वर्ग एवं बेसहारा समाज के स्तर को गरीबी की रेखा से ऊँचा उठाने के लिए जन जागृति करना तथा गरीबो के सहायतार्थ किसी नदी परियोजना बॉध सिचाई परियोजना लागू करने का प्रयास करना तथा कुँआ पम्पसेट हैण्डपम्प आदि की व्यवस्था तथा श्रमदान द्वारा सड़को का निर्माण कराने का प्रयत्न करना।

15. महिला वर्ग के विकास हेतु महिला बाल सेवा पुस्तकालय वाचनालय कला संगीत अनाथालय आदि खोलने का प्रयास करना तथा विधवा महिलाओ को विधवा पेंशन दिलवाने का प्रयास करना तथा हरिजन गरीब बालिकाओ की शादी के लिए अनुदान दिलवाना तथा बेसहारा वृद्व पुरूषो तथा महिलाओ को वृद्वावस्था पेंशन दिलवाने का प्रयास करना।

Ajmal Khan परवीन

सचिव/प्रबन्धक
मुस्लिम ऐजुकेशनल सोसाइटी
ककराला (बदायूँ)

सत्य प्रतिलिपि

06/10/2012

16. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि की सहायता से ग्रामोद्योग की स्थापना करना एवं चलाना एवं ग्रामोद्योग वस्तुओ का उत्पदान कर तथा उनकी बिक्री कर प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरेटेबिल कार्यो पर देना उन्हे ऋण अनुदान दिलाने का प्रयास करना।

17. समस्त मानव समाज के विकास हेतु भारतीय युवाओ, बालको,पुरूषो महिलाओ के शारीरिक, बौद्विक, समाजिक आदि सर्वसोमुखी विकास के लिए समाज में फैली हुई कुरितियो, रूढ़ियो परम्पराओ, अनैतिकता तथा सामाजिक शोषण को रोकने का प्रयत्न करना तथा समाज के निर्बल व उपेक्षित वर्गो के हितो की रक्षा हेतु जनमत तैयार करना एवं उनके उत्थान हेतु प्रयास करना।

18. समाज में राष्ट्रीय एकता की समृद्वि के सार्वजनिक शिविरो सम्मेलनो वाद विवाद प्रतियोगिताओ सांस्कृतिक, कार्यक्रमो लघु पुस्तको तथा कवि सम्मेलनो और विचार गोष्ठियो तथा कठपुतली कार्यक्रमो का आयोजन कर देशभक्ति की ओर युवा शक्ति अग्रसारित करना तथा साथ ही साथ ग्रामीण एवं शहरी कस्बो में पक्की नाली एवं खंडजो कच्ची पक्की सड़को भवन निर्माण सुलभ, शौचालय, अनाथलय, विकलांग आश्रम, निःशुल्क, चिक्त्सिालय, मनोरंजन ग्रह, प्रमोद ग्रह, सिलाई ,कढ़ाई, बुनाई, कताई, प्रशिक्षण ग्रह कृष्ठ एवं अपाहिज संक्रामक रोगो से ग्रस्त स्त्री/पुरूषो की निःशुल्क चिक्त्सिा केन्दो की व्यवस्था कराना तथा पर्यावरण पदूषण से क्षेत्र को बचाने के लिए वृक्षारोपण करवाना तथा उनके प्रचार प्रसार हेतु शिविरो को लगाना।

19. देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओ मद्य निषेध दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल अपराध, वैश्यावृत्ति तथा भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओ का निराकरण करना तथा समाज में गरीबी बेरोजगारी विषमता से उत्पन्न होने वाला असंतोष जैसी समस्याओ के समाधान हेतु समाज को वैधानिक कार्यक्रमो की ओर आकर्षित करना और अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत संयत्र गोबर गैस, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमो का प्रदर्शन एवं विकास करना।

Ajmal Khan परवीन

सचिव/प्रबन्धक

सत्य प्रतिलिपि

06/10/2017

20. आधुनिक समय की आवश्यकता अनुसार ग्रामीण एवं मानव विकास की समस्त तकनीकि परियोजनाओ को कार्यन्वित करने का संस्था सदैव प्रयत्न करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न नवीन उद्देश्यो को पारित करेगी।

21. देश में समय समय पर आने वाली परेशानियाँ दुर्घटनाओ जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, देवीप्रकोप आदि के समय संस्था का राष्ट्र को सहयोग करना जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास समस्त प्रकार की योजनाओ को संचालित करना जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास मे सहायता प्रदान करे तथा सो0 रजि0 एक्ट की धारा 20 सन0 1860 के अन्तर्गत मान्य हो को क्रियान्वित करना।

5. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियो व सदस्यो के नाम, पिता का नाम पता पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के अनुसार कार्यभार सौपा गया।

क्र0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	अफजल खॉ पुत्र श्री मुस्लिम खॉ	वार्ड नं0 5 ककराला,बदायूँ	अध्यक्ष	कृषि
2.	जावेद खॉ पुत्र श्री मुशर्रफ अली खॉ	वार्ड नं0 5 ककराला,बदायूँ	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	अजमल खॉ पुत्र श्री मुस्लिम खॉ	वार्ड नं0 5 ककराला,बदायूँ	सचिव/प्रबंधक	कृषि
4.	साजिद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल अजीज	वार्ड नं0 5 ककराला,बदायूँ	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	मुस्लिम खॉ पुत्र श्री दिलदार खॉ	वार्ड नं0 5 ककराला,बदायूँ	सदस्य	कृषि
6.	श्रीमती परवीन पत्नी श्री मुस्लिम खॉ	वार्ड नं0 5 ककराला,बदायूँ	सदस्य	गृहणी
7.	नफीस अहमद खॉ श्री रफीक अहमद खॉ	वार्ड नं0 3 ककराला,बदायूँ	सदस्य	कृषि

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समिति... बरेली ★ उ0प्र0 ★

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता यह घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र व सलग्न नियमावली के अनुसार सोसा0 रजि0 एक्ट 1860 के अन्तर्गत समिति का गठन किया है।

परवीन

Ajmal Khan
सचिव/प्रबन्धक
मुस्लिम ऐजूकेशनल सोसायटी
ककराला (बदायूं)

सत्य प्रतिलिपि

06/10/2011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 62AB 067096

यह जनरल स्टेंप पेपर सद्भावना मुस्लिम एजूकेशनल एण्ड सोसायटी [illegible]
तह० दातागंज, बदायूँ
के सं० नियमावली प्रमाणित प्रतिलिपि
के साथ संलग्न है। जिसकी पंजीकृत
संख्या B-37354 है।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार [illegible] बरेली मंडल, बरेली ★ उ०प्र० ★

[illegible]
[illegible] क्षेत्रीय कार्यालय बरेली
06/10/2012

संशोधित नियमावली

Amdt.

1– संस्था का नाम– मुस्लिम एजूकेशनल सोसाइटी

2– संस्था का पता– स्थान पो0 ककराला तह0 दातागंज जिला बदायूँ

3– संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4– संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग–इस संस्था की सदस्यता एवं उसका वर्गीकरण निम्नवत होगा । वे महानुभाव जो संस्था के नियमों से सहमत हों इस संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के पात्र होगें इस हेतु एक आवेदन समिति को देना होगा जिस पर संस्था की प्रबन्धकारिणीसमिति विचार उपरान्त अपना निर्णय देगी इस आवेदन पत्र की स्वीकृति उपरान्त ही कोई व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन सकेगा।

क– आजीवन सदस्य   ख– साधारण सदस्य

आजीवन सदस्य–इस् संस्था को 5000–00 रूपया नकद अथवा इस मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले महानुभाव इस संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

साधारण सदस्य– इस संस्था को 1000–00 रूपया प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले महानुभाव इस संस्था के साधारण सदस्य कहलायेंगे।

5– सदस्यता की समाप्ति :– किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

1– सदस्य पागल या दिवालिया हो जायेगा।

2– यदि सदस्य की किसी कारण से मृत्यु हो जायेगी।

3– यदि सदस्य को किसी न्यायालय ने किसी अपराध में दण्डित किया होगा।

4– यदि उसके द्वारा सदस्यता शुल्क जमा नही किया जायेगा।

5– यदि वह बिना किसी सूचना के निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे।

6– यदि उसके द्वारा संस्था के नियमों का उल्लघन किया जायेगा।

7– यदि वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देगा और वह स्वीकार हो जोयगा।

8– संस्था के अंग– संस्था के निम्नांकित दो प्रकार के अंग होगें :–

अ– साधारण सभा   ब– प्रबन्धकारिणी समिति

जावेद खां   [signature]   Ajmal Khan   [signature]

सत्य प्रतिलिपि

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
स्थान पो० ककराला तह० दातागंज
बदायूँ

[signature]
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली
06/10/2017

Scanned with CamScanner

7– साधारण सभा का गठन बैठक कोरम सूचना अवधि आदि –

गठन–इस नियमावली के पैरा–4 में वर्णित समस्ता सदस्यों को मिलाकर संस्था की साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें– सामान्य बैठक एक साल में एक बार होगी तथा इसकी आवश्यक बैठक को किसी भी समय आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकेगा। यह बैठकें साधारण सभा की बैठकें कहलायेंगी

सूचना अवधि– सामान्य बैठक की सूचना समस्ता सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व ऐजेण्डे के द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क अथवा डाक द्वारा दी जायेगी।

गणपूर्ति– साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से सदस्यों की उपस्थिति बैठक में हो जाने पर इसकी बैठकों का कोरम पूर्ण रहेगा इस प्रकार कोरम 2/3 रहेगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अविधवेशन हर साल के अन्तिम सप्ताह में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर होगा।

साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन अपने सदस्यों में से करना

2– कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने सदस्यों में से शेष कार्यकाल के लिए 2/3 बहुमत के आधार पर करना।

3– संस्था के वार्षिक बजट पर विचार करना व उसे स्वीकार करना।

8– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन बैठक कोरम सूचना अवधि आदि :–

गठन– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव/प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष सदस्य होंगे जिनकी संख्या पदाधिकारियों सहित कम से कम 07 व अधिकतम 20 हो सकेगी।

नफीस अहमद जावेद खाँ [signature] Ajmal Khan

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
स्थान पो० ककराला तह० दातागंज
बदायूँ

सत्य प्रतिलिपि

[signature]
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली
06/10/2012

Scanned with CamScanner

बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक एक साल में दो बार होगी तथा इसकी आवश्यक बैठक को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकेगा।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना कम से कम 24 घंटे पूर्व ऐजेण्डे के द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क अथवा डाक द्वारा दी जायेगी

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत बैठक में उपस्थिति हो जाने पर इसकी बैठकों का कोरम पूर्ण होगा इस प्रकार कोरम 2/3 होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– कार्यकाल की समाप्ति पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से शेष कार्यकाल के लिए 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

प्रबन्ध कारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

1– संस्था का उचित रूप से प्रबन्ध करना।

2– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा उनमें संशोधन परिवर्तन की कार्यवाही करना।

3– संस्था की साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णयों पर विचार करना तथा उनके क्रियान्वयन करना।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होगी।

चुनाव प्रक्रिया– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें एक प्रस्तावक व एक अनुमोदक का होना आवश्यक होगा चुनाव में सही सदस्य मत देने का अधिकारी होगा जिसने संस्था का निर्धारित सदसयता शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर ली होगी और वह संस्था का विधिवत सदस्य बन गया होगा।

Ajmal Khan

सत्य प्रतिलिपि

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
स्थान पो० ककराला तह० दातागंज
बदायूँ

06/10/2012

9— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—

अध्यक्ष— संस्था की साधारण सभा प्रबन्धकारिणी समिति की होने वाली समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना और अपने अमूल्य सुझाव देना तथा संस्था की बैठकों की तिथि निर्धारित करना। किसी समय समान मत होने की स्थिति में एक अलग मत देने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वाह करना।

सचिव/प्रबन्धक

संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना तथा उसका रिकार्ड रखना संस्था को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशि, दान—अनुदान, चन्दा एवं अन्य सहायता प्राप्त करना तथा उसका हिसाब रखना। संस्था के पक्ष—विपक्ष में होने वाली अदालती कार्यवाही की पैरवी करना तथा इस हेतु किसी सदस्य को नियुक्त करना संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति अवनति पदोन्नति करना तथा उनके वेतन निर्धारण करना तथा आवश्यकतानुसार वृद्धि करना। संस्था की ओर से होने वाले समस्त इकरार नामा बैनामा किरायेनामा आदि पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। संस्था की बैठकों का संचालन करना तथा बैठकों में लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करना। बैठकों का एजेण्डा तैयार करना तथा उसको सदस्यों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करना। बैठकों की कार्यवाही को रजिस्टर में लिखना, तथा अन्य उन कर्तव्यों का निर्वाह व अधिकारों का प्रयोग करना जो समय समय पर सौंपे जाये।

कोषाध्यक्ष— संस्था के खर्च के बिल बाउचर आदि तैयार करना व उनको सचिव से पास करना, संस्था के आय व्ययक जांच में सहायता करना तथा चन्दा वसूली में सहायता करना।

10— संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया— संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा की विशेष बैठको में 3/5 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर की जायेगी इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होना आवश्यक होगी।

मो० फहद जावेद खां [signature] Ajmal Khan

सत्य प्रतिलिपि

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
स्थान पो० ककराला तह० दातागंज
बदायूँ

[signature]
06/10/2012

11– संस्था का कोष– संस्था के नाम से एक खाता किसी बैंक में खोला जायेगा। संस्था की धनराशि इसमें जमा की जायेगी इस खाते का संचालन सचिव/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

12– संस्था के आये व्यय का लेखा परीक्षण– संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी योग्य आडीटर द्वारा हर साल कराया जायेगा तथा इसकी वार्षिक जांच आख्या प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत की जायेगी।

13– संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व। संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी संस्था के प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

14– संस्था के अभिलेख– संस्था के निम्नांकित अभिलेख होंगे :–

क– सदस्यता रजिस्टर

ख– कार्यवाही रजिस्टर

ग– स्टाक रजिस्टर

घ– कैशबुक आदि

15– संस्था के विघटित और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा० रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

16– विशेष 11.05 प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान में धारा 37 तथा 49 (ड) यह व्यवस्था होगी कि :–

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होगा,

(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं (जिसमें प्राचार्य भी है।),

(ग) अध्यापक (खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं,

Ajmal Khan

सत्य प्रतिलिपि

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
स्थान पो० ककराला तह० दातागंज
बदायूँ

06/10/2012

(गग) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चकानुकम से ज्येष्ठताकम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे,

(ड) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नही अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नही या प्रबन्धतंत्र वैधरूप से गठित हैं या नही तो सहायक रजिस्ट्रार/रजि0 का विनिश्चय अन्तिम होगा,

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धितं सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी, न्यास बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही है, रखने के लिये तैयार है ।

दिनांक : 2/09/09

सत्यप्रतिलिपि

जावेद खाँ   Ajmal Khan   जमील अहमद

सत्य प्रतिलिपि

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
स्थान पो० ककराला तह० दातागंज
बदायूँ

06/10/2012

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible] एजुकेशनल सोसाइटी, [illegible] 50AB 7793[illegible]
तहसील दातागंज बदायूं
प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष-2021-2022

B-373354

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल बरेली (उ०प्र०)
10/2/2022

मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी, स्थान पो0 ककराला तह0 दातागंज जिला बदायूँ

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2021–2022

क्रमसं0	नाम /पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	अफजल खां पुत्र श्री मुस्लिम खां	वार्ड न0–5 ककराला जिला बदायूँ	अध्यक्ष	कृषि
2.	मो0 अनीस पुत्र श्री वाकर अली खान	वार्ड न0–22 ककराला जिला बदायूँ	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	अजमल खां पुत्र श्री मुस्लिम खां	वार्ड न0–5 ककराला जिला बदायूँ	सचिव/प्रबन्धक	कृषि
4.	मुहम्मद जावेद पुत्र श्री मुशर्रफ अली खां	वार्ड न0–19 ककराला जिला बदायूँ	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	मुस्लिम खां पुत्र श्री दिलावर खां	वार्ड न0–5 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	कृषि
6.	श्रीमती परवीन पत्नी श्री मुस्लिम खां	वार्ड न0–5 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	गृहणी
7.	मोहम्मद आजम खान पुत्र श्री फुंदन खान	वार्ड न0–5 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	कृषि
8.	सरदार खां पुत्र श्री आब खां	वार्ड न0–24 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	कृषि
9.	शाने आलम खां पुत्र श्री खालिद दाद खां	वार्ड न0–2 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	कृषि
10.	रफीउद्दीन खां पुत्र श्री फील मो0 खां	वार्ड न0–24 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	कृषि
11.	अफनान खां पुत्र श्री ऐसान मुहम्मद खां	वार्ड न0–13 ककराला जिला बदायूँ	सदस्य	कृषि

नोटः– संस्था के पूर्व सदस्य सामीर खां की मृत्यु हो चुकी है।

Afzal Khan जावेद Afnan

सत्य प्रतिलिपि

अजमल खाँ
सचिव/प्रबन्धक
मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी
ककराला (बदायूँ)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल बरेली (उ0प्र0)
10/2/2022

Scanned with CamScanner